

सं.एन.-1-70/2019-एनवीबीडीसीपी (प्रशा.।)

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(वीबीडी अनुभाग)


विषय:राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) हेतु मुख्य स्टोर कीपर के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी जन सूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.जा.सं. एबी.14017/16/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) हेतु मुख्य स्टोर कीपर के पद के भर्ती नियमों की प्रारूप अधिसूचना सर्वसाधारण के सूचनार्थ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टैकहोल्डर, प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव श्री अम्बादत्त बावरी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 753-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110008 को लिखित रूप में या ई-मेल पते sovbdhfw@gmail.com पर भेज सकते हैं।

नई दिल्ली

दिनांक: 19.08.2019



(अम्बा दत्त बावरी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन नं: 23061510

अधिसूचना

सा.का.नि. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 1980 को, जहां तक उनका संबंध स्टोर कीपर (क्र.सं.1) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में स्टोर कीपर पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : -

(i) इन नियमों को राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी), स्टोर कीपर समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2019 कहा जायेगा।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में लेवल - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति -

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है।

(ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्षकार को लागू स्व-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचनी है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पदा। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं |
|------------|--|---|--|------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| स्टोर कीपर | 01* (2019) 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स का लेवल-4 - 25500 - 81100/- रुपये | अचयन | 18 से 27 वर्ष की आयु के बीच (सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 40 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय) टिप्पणी: आयु-सीमा के निर्धारण की तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा-तारीख होगी (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है, वहां आयु-सीमा का निर्धारण आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को आधार मान कर किया जाएगा)। | (क) (I) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण (II) केंद्रीय या राज्य सरकार, स्वायत्त / सांविधिक संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालय या भारत के स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध निजी क्षेत्र के संगठन के भंडार या संस्था में भंडार संभालने और भंडार में लेखा रख-रखाव में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पणी: अन्यथा सुअर्ह उम्मीदवारों के मामले में अहर्ताएं सक्षम प्राधिकारी / कर्मचारी चयन आयोग के विवेक पर लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से शिथिलनीय है। टिप्पणी: यदि चयन के किसी चरण पर सक्षम प्राधिकारी / कर्मचारी चयन आयोग की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी अहर्ता, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से सक्षम प्राधिकारी / कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय है। |

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। |
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं | सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष | पदोन्नति द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा। |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|--|--|---|
| (11) | (12) | (13) |
| वेतन मैट्रिक्स - 2 में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले अवर श्रेणी लिपिकों की प्रोन्नति द्वारा। | पदोन्नति और/या पुष्टि हेतु समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति: i) संयुक्त निदेशक/उप-निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम - अध्यक्ष ii) उप-निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय / निदेशालय, दिल्ली / नई दिल्ली में स्थित कोई संस्थान - सदस्य iii) प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम - सदस्य | लागू नहीं |
| | | |

सं.एन.-1-70/2019-एनवीबीडीसीपी (प्रशा.।)

(ए.डी. बावरी)
अवर सचिव